

प्रकरण क्र० A-10/2013 11/2013

श्री

पेशी ता० 18-6-2014

समस्त प्रोमान अध्यक्ष राजस्व मण्डल ग्वा लियर कॅम्प , हजूर

Nesto 2033 - 2014

टिकालड याड

अपोलाथी

5 पैस कायदेपत्र 3 दो
विरुद्ध

सुरेश सेठ आदि

----- प्रत्यर्थी

17 व्हे देवाय रोड ई का

आदेश 9 नियम 7 सो० पो० सो० के अन्तर्गत आवेदन पत्र

विक्रम 34
मिमपय 210
कूप डी 54
प्र. 30

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक Rest. 2033-PBR/2014


स्थान तथा दिनांक

कर्मचारी द्वारा जारी

खिला इदार

16-7-2014

आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। आवेदक की ओर से पुनर्स्थापन आवेदन पत्र में इस न्यायालय में नियत पेजी दिनांक 18-6-2014 को उपस्थित नहीं होना का कारण माननीय उच्च न्यायालय में अन्य प्रकरण में व्यस्त होना दर्शाया गया है। मूल निगरानी प्रकरण में संलग्न अभिभाषक पत्र को देखने से स्पष्ट है कि उसमें श्री विभाष खेड़कर अभिभाषक के अतिरिक्त 3 अन्य अभिभाषक भी आवेदक की ओर से नियुक्त हैं। अतः प्रथमतः यदि श्री विभाष खेड़कर अभिभाषक माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित प्रकरण में व्यस्त थे तब अन्य अभिभाषक इस न्यायालय में उपस्थित हो सकते थे। इसके अतिरिक्त आवेदक स्वयं भी इस न्यायालय में उपस्थित हो सकता था। द्वितीय अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण इस न्यायालय में प्रचलित प्रकरण में उपस्थित नहीं होना अनुपस्थिति का समाधानकारक कारण नहीं है। उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में मूल निगरानी प्रकरण में अनुपस्थिति का समाधानकारक कारण नहीं पाये जाने से यह पुनर्स्थापन आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।


(स्वद्रीप सिंह)
अध्यक्ष

16-7-2014